न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 30 / 2019

नत्थूराम उर्फ नथमल पुत्र सुरजाराम, जाति मीणा निवासी नाटास तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील गुढा गोडजी, जिला झुंझुनू
— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.10.2018 उनवानी सरकार बनाम नत्थुराम
अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 161 / 2018
बअदालत नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी।

उपस्थितिः—

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ----- ------------ अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ---------- रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 04.07.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.10.2018 उनवानी सरकार बनाम नत्थुराम अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत नायब तहसीलदार गुढा के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत ने दिनांक 23.10.2018 को अपीलांट को अनुपस्थित मानकर पटवारी हल्का नाटास द्वारा सम्वत 2075 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भूमि खसरा नंबर 446 / 402 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै0 मु0 जोहड़ के 0.06 हैक्टर पर बाडा कर अपीलांट का अतिकमी मानते हुये बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलांट को नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि पत्रावली की आर्डरशीट के अनुसार दिनांक 30.08.2018 को पटवारी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत अपीलांट को तलबी के लिए नोटिस जारी करने का आदेश हुअ ा है और आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.9.2018 की अंकित की गई है। इसके बाद दिनांक 19.9.2018 के लिए जो धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस की तारीख को काटकर दिनांक

अति. जिला कलक्टर
झुन्झुनू

23.10.2018 को अपीलांट की नोटिस तामील की तारीख अदालत मातहत में उपस्थिति की लिखी गई, जब कि नोटिस जारी करने की तारीख 30.8.2018 अंकित है। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि या तो 30.8.2018 को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया क्योंकि अगर नोटिस जारी होता तो उस पर उपस्थिति दिनांक 19.9.2018 को काटकर 23.10.2018 नहीं लिखी जाती और अगर दिनांक 23.10.2018 के लिए उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया जाता तो अदालत मातहत नायब तहसीलदर द्वारा दिनांक 30.8.2018 को नोटिस जारी करने की तिथि नहीं लिखी जाती। उसके बाद तो अन्य तिथि को ही नोटिस जारी किया जाना लिखा जाता। इस प्रकार से अपीलांट को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया गया और ना ही तामील कुनिन्दा ने नोटिस के तामील के नीचे कोई तारीख ही अंकित की है। अपीलांट नत्थूराम के जो हस्ताक्षर हैं वह भी गलत हैं, क्योंकि हस्ताक्षर अपीलांट नथमल के न करके कोई और ही नथूराम के नाम से हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से अदालत मातहत ने अपीलांट की तामील मानकर दिनांक 8.10.2018 को अपनी आडरशीट में अपीलांट/अप्रार्थी को अनुपस्थित होना अंकित किया है। जब दिनांक 19.9.2018 की पेशी दी गई थी, उस पेशी पर अदालत मातहत के रीडर या किसी बाबू द्वारा रिकार्ड पर कोई आडरशीट अंकित नहीं की गयी है। सीधे ही दिनांक 8.10.18 को आदेशिका अंकित कर अपीलांट को अनुपस्थित दिखाया गया है। जबकि तारीख 19.9.2018 को पत्रावली पर आगामी तारीख पेशी 8.10.18 कायम ही नहीं की गई तो अपीलांट की उपस्थिति या अनुपस्थिति किस प्रकार से दिनांक 8.10.18 को कायम की जा सकती है। दिनांक 23.10.18 को अदालत मातहत ने अपीलांट के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कर बेदखलीका निर्णय पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अपीलांट राज्य सरकार द्वारा आबादी में परिवर्तित की गयी भूमि में आबाद है और अगर इसे प्रोपर तरीके तामील होकर जवाबदेही का अवसर दिया जाता तो अपना पक्ष विस्तृत रूप से अदालत मातहत के समक्ष प्रकट करता। इस विवादित खसरा नंबर के संदर्भ में अदालत सिविल न्यायाधीश क0ख0 उदयपुरवाटी के समक्ष उनवानी दावा मातादीन बनाम राज0 सरकार दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु0 नंबर 73/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2010 के द्वारा निर्णित व डिक्री किया जा चुका है कि विवादित खसरा नंबर जो आबादी में परिवर्तित हो चुका है, उसके संदर्भ में अपीलांट व अन्य को न्यायालय बिना सुनवाई के व प्रोपर प्रक्रिया अपनाये बिना इनके कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का विघन नहीं डाले, जिसमें अदालत मातहत प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में पक्षकार थी फिर भी अदालत मातहत ने कानूनी प्रक्रियाओं की पालना किये बिना अपीलांट को बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया है। वह विरूद्ध कानून व पत्रावली

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 23.10.2019 को खारिज फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि-- अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विधिवत तामील नहीं हुई । अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । अदालत मातहत की आदेशिकाओं में कांट छांट की गई है। अपीलांट राज्य सरकार द्वारा आबादी में परिवर्तित की गयी भूमि में आबाद है और अगर इसे प्रोपर तरीके तामील होकर जवाबदेही का अवसर दिया जाता तो अपना पक्ष विस्तृत रूप से अदालत मातहत के समक्ष प्रकट करता। इस विवादित खसरा नंबर के संदर्भ में अदालत सिविल न्यायाधीश क0ख0 उदयपुरवाटी के समक्ष उनवानी दावा मातादीन बनाम राज0 सरकार दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु0 नंबर 73/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2010 के द्वारा निर्णित व डिक्री किया जा चुका है कि विवादित खसरा नंबर जो आबादी में परिवर्तित हो चुका है, उसके संदर्भ में अपीलांट व अन्य को न्यायालय बिना सुनवाई के व प्रोपर प्रक्रिया अपनाये बिना इनके कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का विघन नहीं डाले, जिसमें अदालत मातहत प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में पक्षकार थी फिर भी अदालत मातहत ने कानूनी प्रक्रियाओं की पालना किये बिना अपीलांट को बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया हैवह विरूद्ध कानून व पत्रावली है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 23.10.2019 को खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय गै0मु0 जोहड़ की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं हुई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी के निर्णय दिनांक 23.10.2018 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ

अति0 जिला कलेक्टर झुन्झुनू

न्यायालय की आदेशिकाओं में अपीलांट को जारी नोटिसों के संबंध में काफी विरोधाभाष है, तथा आदेशिकाओं के अनुसार पत्रावली पर नोटिस जारी होना साबित नहीं, जारी नोटिसों में तारीख पेशी के संबंध में कांट–छाट है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और ना ही अपीलांट की विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत तामील होना पाया गया । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी का निर्णय दिनांक 23.10.2018 मुकदमा नंबर 161/2018 उनवानी सरकार बनाम नत्थूराम निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राज.)

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू अति. जिला कलेक्टर झुन्झनू

निर्णय आज दिनांक 04.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू अति. जिला कलेक्टर झुन्झनू